न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—02/2023
जीसीएमएस नं.—2023/293

महावीर पुत्र लिखमाराम जाति ओड निवासी चक 3 युडीएम (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

---- **प्रार्थी**

बनाम्

1. मनमीत कौर पत्नी रणजीतसिंह निवासी चक 3 युडीएम (ए) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

----**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट बाबत् रास्ता

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—**16/03/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि वाके चक 3 युडीएम (बी) का मुरब्बा नं.—16 पत्थर सं.—258/414 का किला नं.—1 ता 20 में 5.0600 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में से 1/5 हिस्सा सयुंक्त खाता में अन्य खातेदारान के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी का अन्य खातेदारान के साथ दिनांक 16.06.2022 को घरू बंटवारा हो चुका है तथा घरू बंटवारा में प्रार्थी को किला नं.—3, 8, 13, 18 मे 1.012 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा प्राप्त हुआ है जिस पर प्रार्थी काबिज चला आ रहा है। जमाबंदी की प्रतिलिपी सलग्न है। अप्रार्थी के नाम से इसी चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.—16 पत्थर सं.—258/414 का के किला नं.—21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2 कुल 1.1380 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को घरू बंटवारा में प्राप्त अपनी कृषि भूमि चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.—16 पत्थर सं.—258/414 का किला नं.—3, 8, 13, 18 मे 1.012 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है तथा ना ही कोई रास्ता मौका पर स्वीकृत है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई भी रास्ता नही होने के कारण प्रार्थी को बहुत ही ज्यादा परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थी की कृषि भूमि के किला नं.—21 ता 25 के दक्षिणा दिशा मे मौका पर रास्ता चल रहा है जो स्वीकृत है तथा रास्ता आगे जाकर मुख्य सड़क से जुडता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.—16 पत्थर सं.—258/414 का के किला नं.—23/2 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अप्रार्थी के किला नं.—23/2 मे से रास्ता स्वीकृत होने के बाद उक्त रास्ता से होकर आगे चल रहे रास्ता से जुड़ कर मुख्य सड़क पर आ जा सकता है तथा उक्त रास्ता ही सबसे सुगम व सुविधाजनक है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प उप[illegible]क्त कृषि भूमि में आने जाने के लिए मौका पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने के का[illegible] प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए भारी असुविधाओं का सामना [illegible] रास्ता के अभाव में प्रार्थी को अपनी कृषि जिन्स कृषि मण्डी में लाने में भारी असुविधा [illegible] है। इसलिए प्रार्थी अप[illegible] भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी की [illegible] करवा कर राजस्व [illegible] अकन करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की कृषि भूमि वाके चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.—16 पत्थर सं.—258/414 का के किला नं.—23/2 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता मंजुर करवाने बाबत अनुतोष वाहा गया है। रास्ता में आने वाली भूमि की ऐवज में प्रार्थी अप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

भूमि का मुल्य देने को तैयार है। यह कि प्रार्थी ने दिनांक 27.06.2023 को अप्रार्थी सं.–1 से मिल कर उसकी कृषि भूमि चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–258/414 का के किला नं.–23/2 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करवा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी अप्रार्थी सं.–2 से मिल कर अप्रार्थी की कृषि भूमि में से चाहे रास्ता का अकन करने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी सं.–2 ने सक्षम अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने का कहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने बाबत पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि वाके चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–258/414 का किला नं.–3, 8, 13, 18 में 1.012 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा में आने जाने हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 युडीएम (बी) मुरब्बा नं.–16 पत्थर स.–258/414 का के किला नं.–23/2 में से 10 फुट चौड़ा रास्ता को स्वीकृत किया जावे तत्पश्चात रास्ते का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड मे करने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीया सं.–01 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पेश किया कि उक्त भूमि के कि0न0 21 ता 25 में मौका पर सरकारी रास्ता चल रहा है जिसका उपयोग प्रार्थीया व प्रार्थीया के खेत पडौसी कर रहे है जो कि प्रार्थीया का खेत पडौसी महावीर पुत्र लिखमाराम जाति ओड़ निवासी चक 3 यूडीएम–ए तहसील अनूपगढ़ मेरी उक्त भूमि के कि0न0 21 में महावीर को आन जाने हेतू 30 वर्षो दिया हुआ है जो कि रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग अन्य खेत पडौसी भी आने जाने हेतू कर रहे है जिसका मौका देखा जा सकता है। यह कि प्रार्थीया उक्त भूमि के कि0न0 21 ता 25 रास्ता को पूर्व की भांति ही रखा जावे।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की भूमि के कि0न0 21 में पूर्व की भांति रास्ता को रखा जावे।

अप्रार्थी सं.–2 तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ मुताबिक राजस्व रिकार्ड चक 3 यू.डी.एम. बी का पं.नं.–258/414 का कि.नं.–1 ता 20 का कुल 5.060 हैक्टर कमाण्ड रकबा जमाबंदी के खाता सं.–32 में सयुक्त रूप से निम्न खातेदार ओमप्रकाश पुत्र लिखमाराम जाति ओड हिस्सा 1/5 रहन पी.एन.बी. अनूपगढ, महावीर पुत्र भज्जाराम जाति ओड हिस्सा 1/5 रहन एस.बी.आई ए. डी.बी. अनूपगढ, महावीर पुत्र भज्जाराम जाति ओड़ हिस्सा 1/5, रणजीत कौर पत्नि सज्जन सिंह जाति जटसिख हिस्सा 1/5 रहन, बी.ओ.बी. अनूपगढ, सुभाष पुत्र श्योपतराम जाति ओड हिस्सा 1/5 के नाम से सयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इसी पं.नं.–258/414 का कि.नं.–21/2 ता 25/2 का कुल 1.138 है कमाण्ड रकबा अप्रार्थी मनजीत कौर पत्नि रणजीत सिंह जाति जटसिख के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मौका पर प्रार्थी महावीर पुत्र लिखमाराम जाति ओड द्वारा अपने संयुक्त खातेदारी रकबा में से घरेलू बंटवारा के आधार पर कि.नं.–3,8,13,18 पर कास्त की हुई है। प्रार्थी द्वारा अपने इसी रकबा पर आने जाने हेतु [illegible] 23/2 में से रास्ता चाहा है।

वर्तमान में उक्त मुरब्बा पं.नं.–258/414 के कि.नं.–21 ता 25 में [illegible] शुदा रास्ता मौके पर चल रहा है। प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी रकबा कि.नं.–1 ता [illegible] 5.060 है. पर आने–जाने हेतु कि.नं.–21/2 के सिरे पर लगभग [illegible] फुट [illegible] सहमति से चल रहा है। अप्रार्थी पक्षकार द्वारा इसी चल रहे रास्ता को स्वीकृत किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी मनजीत कौर के रकबा के बीचों–बीच कि.नं.–23/2 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की गई। मौका स्थिती अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि कि.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला ... श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

नं.–1 ता 20 के लिए लघुतम एवं सुगम रास्ता कि.नं.–21/2 के सिरे से दिया जाना उचित होगा।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त मुरब्बा पं.नं.–258/414 के कि.नं.–21 ता 25 में स्वीकृत शुदा रास्ता मौके पर चल रहा है। प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी रकबा कि.नं.–1 ता 20 रकबा 5.060 है. पर आने–जाने हेतु कि. नं.–21/2 के सिरे पर लगभग 8–10 फुट चौडा रास्ता सहमति से चल रहा है, जिस रास्ता से किला नं. 1 से 20 के प्रार्थी सहित सभी सह–काश्तकारों को आवागमन की सुविधा उपलबध है इसलिए चाहा गया रास्ता अत्यान्तिक आवश्यकता का नहीं है। प्रार्थी को उसकी सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। कानूनन भी सह–काश्तकारा भूमि का विभाजन रास्ता, सुविधा सुविधा को मध्यनजर रखते हुए कर सकते हैं इसलिए किला नं. 1 से 20 के काश्तकारान का मौका पर उपलब्ध रास्ता के मध्यनजर रखते हुए विभाजन करवाने का दायित्व है। अप्रार्थी मनजीत कौर के रकबा के बीचों–बीच कि.नं.–23/2 में से प्रार्थी द्वारा रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग न्यायोचित नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव प्रार्थी को धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक ओर नया रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251ए राजसथान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 16/03/26 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.16 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested